

13 08  
19

पट्टलाय मरीकन उपस्थित। अहम वकील डा. अर्जुन  
पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।  
वकील डा. अर्जुन ने डा. अर्जुन-पट्ट में अंकित तथ्यानुसार  
शास्ता स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली  
के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वकील डा. अर्जुन द्वारा  
डा. अर्जुन-पट्ट डा. अर्जुन निर्मला देवी - रंजन - मोनिका - श्रेया  
कुमार के लिए मुख्ययाचक नाम निर्मला देवी को सुद्वि  
कुमार जाति जाट निवासी नामजीवाला तह. रायसिंहनगर  
अन्तर्गत डा. अर्जुन के तहत प्रस्तुत किया है। परन्तु  
वकील डा. अर्जुन द्वारा पत्रावली में मुख्ययाचक नाम  
प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में डा. अर्जुन  
स्वीकार किया जाना - प्राच्योचित नहीं होता है।  
लिहाजा डा. अर्जुन अन्तर्गत द्वारा डा. अर्जुन खारिज  
किया जा रहा है।  
रंजन कुमार राजसिंह  
उप खण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर